रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2011/भाद्र 5, 1933

No. 481] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2011/BHADRA 5, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 648(अ).—संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (चौथा संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

'43-सी (1) इस नियम के प्रावधानों के अध्यधीन किसी महिला सरकारी कर्मचारी को अपने दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे वह पालन-पोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरूरत जैसे शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरूरत के लिए उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में, छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 730 दिनों की संतान देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है ।

(2) उप-नियम (i) के उद्देश्यार्थ "संतान" का अर्थ है :—

(क) अठारह वर्ष से कम उम्र की कोई संतान; अथवा

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16:18/97-एन 1. 1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत की नि:शक्तता सहित बाइस वर्ष से कम उम्र की कोई संतान ।

(3) उप-नियम (i) के अंतर्गत किसी महिला सरकारी कर्मचारी को संतान देखभाल छुट्टी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) यह किसी भी कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत की जाएगी ।

(ii) यह एक बार में न्यूनतम पन्द्रह दिन की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी ।

(iii) कतिपय विशेष परिस्थियां जिसमें छुट्टी संस्वीकृति प्राधिकारी परिवीक्षार्थी को संतान देखभाल छुट्टी देने की जरूरत के बारे में संतुष्ट हो, को छोड़कर सामान्यतम परिवीक्षार्थी की अवधि में स्वीकृत नहीं की जाएगी बशर्ते कि अवधि जिसके लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृति की जाती हो, न्यूनतम है ।

(4) संतान देखभाल छुट्टी के दौरान, महिला सरकारी कर्मचारी को उनके छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उनके द्वारा आहरित छुट्टी वेतन के समान छुट्टी वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

(5) संतान देखभाल छुट्टी को किसी भी अन्य छुट्टी के साथ संयोजित किया जा सकता है ।

(6) नियम 30 के उप-नियम (1) अथवा नियम 31 के उप-नियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए देय और अनुमान (अधिकतम साठ दिन की परिवर्तित छुट्टी और छुट्टी जो बकाया नहीं है, सहित) यदि आवेदित की जाती है, तो उप-नियम (1) के अंतर्गत स्वीकृत संतान देखभाल छुट्टी के क्रम में स्वीकृत की जाए ।

(7) संतान देखभाल छुट्टी को छुट्टी लेखा से नहीं घटाया जाएगा ।'

[फा. सं. 13018/4/2011-स्था. (छुट्टी)]

ममता कुन्द्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम अधिसूचना, सं. का.आ. 940, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए और पिछली बार अधिसूचना एवं सा. का. नि. 646(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2011

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 2011.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 43-C of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the following rule shall be substituted, namely :—

   '43-C(1) Subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like.

   (2) For the purposes of sub-rule (1), "child" means—

   (a) a child below the age of eighteen years; or

   (b) a child below the age of twenty-two years with a minimum disability of forty per cent as specified in the Government of India in Ministry of Social Justice and Empowerment's Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001.

(3) Grant of child care leave to a woman Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely :—

(i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;

(ii) it shall not be granted for a period less than fifteen days at a time; and

(iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer. Provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.

(4) During the period of child care leave, the woman Government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(5) Child care leave may be combined with leave of any other kind.

(6) Notwithstanding the requirement of production of medical certificate contained in sub-rule (1) of rule 30 or sub-rule (1) of rule 31, leave of the kind due and admissible (including Commuted Leave not exceeding sixty days and Leave Not Due) upto a maximum of one year, if applied for, be granted in continuation with child care leave granted under sub-rule (1).

(7) Child care leave shall not be debited against the leave account.'

[F. No. 13018/4/2011-Estt.(L)]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published *vide* Notification No. S.O. 940, dated the 8th April, 1972 and were last amended *vide* Notification No. G.S.R. 646(E), dated the 26th August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064